


महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा पंचकुला।
निविदा आमन्त्रण सूचना

महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा के अर्न्तगत जिला करनाल में महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी करनाल ग्रा0, निसिंग व इन्द्री के कार्यालय के लिये प्राईवेट गाड़ी हायर करने के लिए मोहरबन्द निविदाएं दिनांक 03.09.19 साय:5:00 बजे तक जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, करनाल के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है जोकि दिनांक 04.09.19 प्रातः 10:00 बजे अतिरिक्त उपायुक्त, करनाल की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी।

नियम व शर्तें :- 1. किराये पर दिये जाने वाले वाहन की आर0सी0/बीमा आदि कागजात पूरे होने चाहिए। 2 वाहन मालिक को 10000/-रूपए धरोहर राशि के रूप में जमा करवानी होगी, अवधि समाप्त होने पर राशि वापिस की जायेगी। 3. सरकारी हिदायतों के अनुसार गाड़ी के कागजात व चालक से संबंधित रिकार्ड पूर्ण ना होने की स्थिति गाड़ी यदि इम्पाउंड होती है तो इसका जिम्मेवार वाहन मालिक होगा। 4. एक माह में अधिक से अधिक 20800/- रुपये की अदायगी किलोमीटर अनुसार होगी। विभाग या कार्यालय बाध्य नहीं होगा कि 20800/- रुपये के किलोमीटर चलाये जाये। 5. महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी करनाल ग्रा0, इन्द्री के कार्यालयों हेतू गाड़ी की स्वीकृति 31 मार्च 2020 तक व महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी निसिंग के कार्यालय हेतू गाड़ी की स्वीकृति 31 दिसम्बर 2019 तक मान्य है। आवश्यकता होने पर गाड़ी की अवधि बढ़ाई जा सकती है। 6. वाहन संबंधित अधिकारी के आदेशानुसार चण्डीगढ़, दिल्ली अथवा हरियाणा के किसी भी जिले में भेजा जा सकता है। 7. विभागीय कारणों से वाहन की आवश्यकता नहीं होती तो वाहन को सरण्डर कर दिया जायेगा। 8. वाहन 3-4 वर्ष से पुराना ना हो। 9. वाहन कार्यालय की आवश्यकतानुसार सप्ताह के सभी दिनों में उपलब्ध करवाया जायेगा। 10. अन्य शर्तें मौके पर बता दी जायेगी जो मान्य होगी।


जिला कार्यक्रम अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास,
करनाल